राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक 12—01—2015

—: प्रेस नोट :—

वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड—II (मा.शि.) प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के संबंध में आयोग कार्यालय द्वारा दिनांक 31—07—14, 04—08—14, 21—10—14 प्रेस विज्ञप्ति एवं दिनांक 12—12—14 को जारी प्रेस नोट के तहत टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऑनलाईन/ऑफलाईन विकल्प पत्र मांगे गये थे। प्रेस विज्ञप्ति/प्रेस नोट के तहत बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के अभ्यर्थी जो सहरिया जाति से नहीं है, ने भी विकल्प पत्र प्रस्तुत किये हैं। बारां जिला टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु मान्य नहीं है केवल सहरिया जाति के आरक्षण हेतु मान्य है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12—02—1981 The Schedule Areas (State of Rajasthan) Order, 1981 के अनुसार टी.एस.पी. हेतु आरक्षित क्षेत्र में बारां जिला शामिल नहीं है।

अतः आयोग द्वारा अध्यापक ग्रेड —II प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के संबंध में विभिन्न विषयों के दिनांक 09—01—14, 10—01—14 एवं 12—01—14 को जारी संशोधित परिणामों में टी.एस.पी. अभ्यर्थियों का जो परिणाम जारी किया गया है, उसमें बारां जिले के अभ्यर्थियों को टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु मान्य न किया जाकर संशोधित परिणाम में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त संशोधित परिणाम भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12—02—1981 The Schedule Areas (State of Rajasthan) Order, 1981 के अनुसरण में जारी किया गया है।

सचिव

क्रमांक प.6(5)परीक्षा'ग' / त.अ.ग्रेड